सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः 83/15 **निर्णय दिनांक : 25.01.2018**

1. मु. बागा बेवा सरदारे खॉ जाति मुसलमान निवासी टालीवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर दिनांक 28.09.2015

उपस्थितः

1. श्री शिव कुमार श्रीमाली, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा एक दावा धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट/वादी को गांव टालीवाला के खसरा नम्बर 120 मिन में 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 23—01—1973 को किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् अपीलांट को कब्जा खसरा नम्बर 3 मिन में 25 बीघा 12 बिस्वा पर दिया गया। जिस पर वादीनी बौर आवंटी काबिज काश्तकार चली आ रही है। चूंकि वादीनी खसरा नम्बर 3 मिन में 25 बीघा 12 बिस्वा पर मौके पर काबिज है इसलिए अदालत मातहत द्वारा दफा 91 एन.आर.एक्ट के नोटिस भी दिये गये है। जबकि वादीनी आवंटन दिनांक से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार है। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 120 मिन आराजीराज भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीनी सद्भाविक रूप से आवंटित भूमि मानते हुए काबिज है अन्य किसी भी पर काबिज नहीं है। चूंकि अपीलांटा वादगत् भूमि पर आवंटन दिनांक से ही काबिज है ऐसी स्थिति में अपीलांटा को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। उसे सद्भाविक आवंटी ही माना जाना चाहिए। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटा को अतिक्रमी मानते हुए दावा डिक्री करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांटा द्वारा अदालत मातहत के समक्ष मौखिक साक्ष्यों से यह साबित किया था कि अपीलांटा आवंटन दिनांक से ही वादगत् भूमि पर काबिज काश्त है। जबकि रेस्पोडेन्ट अर्थात सरकार की तरफ से कोई जवाब दावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वार निर्णय के पैरा संख्या 5 में यह लिखा है कि तनकी संख्या 1 ता 6 एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया गया है। जबकि तनकी संख्या 1 से 6 क्या है और किस आधार पर एक दूसरे पर निर्भर है इसका कोई उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है। अपीलांटा एक गरीब महिला है जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है। अदालत मातहत

द्वारा आराजी जैर के आवंटन पर हल्का पटवारी द्वारा मूल रूप से आवंटित भूमि खसरा नम्बर 120 मिन के स्थान पर खसरा नम्बर 3 मिन में मौके पर कब्जा प्रदान किया गया है। इसमें अपीलांटा की कोई गलती नहीं है। यह जिम्मेदारी राजस्व अमलामाल की थी।

उन्होंने आगे बताया कि न्यायालय हाजा के अपील संख्या 37/97 निर्णय दिनांक 20—01—1998 उनवान गनी खॉ बनाम सरकार में पारित निर्णय में अंकित तथ्य एक समान है। इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। अतः समानता के आधार पर निर्णय व डिक्री किया जाना चाहिए था। जिसे अदालत मातहत द्वारा ना मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की है। प्रकरण में वादी ने दस्तावेज में धारा 91 के नोटिस व मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, इनको न मानने का कोई पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। अदालत मातहत द्वारा दावा सरसरी तौर पर खारिज किया गया है। चूंकि अपीलांटा को वादगत् भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 के नोटिस जारी किये गये है जिससे साबित है कि अपीलांटा का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त है। लिहाजा अपीलांटा को वादगत् भूमि खसरा नम्बर 3 तादादी 25 बीघा 12 बिस्वा मौजा रोही टालीवाला का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटा को दिनांक 23—01—1973 को दस साला आवंटन खसरा नम्बर 120 की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांटा उक्त भूमि पर काबिज न होकर खसरा नम्बर 3 की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काबिज है। अपीलांटा द्वारा खसरा नम्बर 3 मिन की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलांटा के तथ्यों की कोई पुष्टि होती हो। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटा की अपील इसी आधार पर खारिज की गई है। अतः अपीलांटा

अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांटा की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दावा धारा 88, 188 एवं धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट/वादी को गांव टालीवाला के खसरा नम्बर 120 मिन में 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 23—01—1973 को किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् अपीलांट को कब्जा खसरा नम्बर 3 मिन में 25 बीघा 12 बिस्वा पर दिया गया। जिस पर वादीनी बौर आवंटी काबिज काश्तकार चली आ रही है। चूंकि वादीनी खसरा नम्बर 3 मिन में 25 बीघा 12 बिस्वा पर मौके पर काबिज है इसलिए अपीलांटा को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा दावे के निर्णय से पूर्व दिनांक 07—05—2013 को तनकीयात् कायम की गई। जिसमें क्रमशः तनकी संख्या 1 आया कि वादीया मौजा रोही टालीवाला के खसरा नम्बर 120 तादादी 25.12 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 3 मिन तादादी 25.12 बीघा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की मुश्तहक है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 आया कि वादीया खसरा नम्बर 120 तादादी 25.12 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 3 मिन तादादी 25.12 बीघा आराजीराज की जगह अपने नाम दर्ज करवाने की हकदार है। उपरोक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार अपीलांटा पर था। अपीलांटा द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ना ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि अपीलांटा का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त रहा हो।

(3) अपीलांटा का कथन कि उसे संवत् 2046 में नम्बर 3 मिन की 5 बीघा व संवत् 2058 में 3 बीघा पर नाजायज काश्त के तावानी नोटिस जारी किये गये है जिससे साबित है कि अपीलांटा का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः कब्जे काश्त के आधार पर उसे वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अंकित किया गया है कि अपीलांटा का मात्र 5 बीघा व 3 बीघा भूमि पर नाजायज काश्त के आधार पर तावानी नोटिस जारी किये गये है जिससे पूरी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता। अपीलांटा द्वारा ग्राम टालीवाला के खसरा नम्बर 3 मिन पर निरन्तर कब्जा काश्त का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे साबित हो कि वह वादगत् भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है।

(4) अपीलांटा को ग्राम टालीवाला के खसरा नम्बर 120 मिन की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि का दससाला आवंटन किया गया था। यदि तत्समय अर्थात आवंटन के समय उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी तो ऐसी स्थिति में अपीलांटा को उसी समय ही आवंटन आदेश में दुरूस्ती करवानी चाहिए थी। अपीलांटा द्वारा ऐसा न करते हुए राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3 मिन की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काबिज होना आवंटन नियमों के विपरीत है। अपीलांटा दस्तावेजी साक्ष्यों से खसरा नम्बर 3 मिन की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांटा का दावा खारिज करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर दिनांक 28—09—2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर